# नगराईन नगरपालिका

## आर्थिक ऐन, २०७५

प्रमाणिकरण मिति : २०७५।०३।१७

**प्रस्तावनाः** नगराइन नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम नगराइन नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः** (१) यस ऐनको नाम "आर्थिक ऐन, २०७५" रहेको छ ।

(२) यो ऐन स्वीकृत भएको मितिदेखि नगराइन नगरपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।

२. **सम्पति करः** नगरपालिकाका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (१) बमोजिम एकीकृत सम्पत्ति कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

३. **भूमि कर (मालपोत):** नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (२) बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

४. **वहाल करः** नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा अनुसूचि (३) बमोजिम वहाल कर लगाइने र असूल गरिनेछ ।

५. **व्यवसाय करः** नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूचि (४) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

६. **जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करः** नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, जडिबुटी, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत अनुसूचि (५) बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

७. **सवारी साधन करः** नगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूचि (६) बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।

८. **विज्ञापन करः** नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूचि (७) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।

९. **मनोरन्जन करः** नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूचि (८) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।

१०. **बहाल बिटौरी शुल्कः** नगरपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनुसूचि (९) मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसूचिमा भएको व्यस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

११. **पार्किङ शुल्कः** नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूचि (१०) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

१२. **सेवा शुल्क, दस्तुरः** नगरपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसूचि ११ मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१३. **पर्यटन शुल्कः** नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुवाट अनुसूची १३ मा उल्लिखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।

१४. **कर छुटः** यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिईने छैन ।

१५. **कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधिः** यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि नगर कार्यपालिकाले तोके अनुसार हुने छ ।

## अनुसूचि १
(दफा (२) सँग सम्बन्धित)

### एकीकृत सम्पत्ति कर

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ को प्राबधान बमोजिम एकीकृत सम्पत्ती कर लागू गर्न कार्यपालिकाबाट आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

### घर जग्गा कर

एकीकृत सम्पत्ती कर लागू नभएसम्म नगर कार्यपालिकाबाट निर्धारण भए बमोजिम घरजग्गा कर लागू हुनेछ ।

अनुसूचि २
(दफा (३) सँग सम्बन्धित)

## भूमि कर (मालपोत) को दर

| जग्गाको किसिम | प्रति कठ्ठा (३३८.६०व.मी.) रु. | जरिवाना | कैफियत |
|---|---|---|---|
| अब्बल | ८ | बार्षिक १०% | विगत बर्षको बक्यौताको हकमा समेत यसै बमोजिम हुनेछ। |
| दोयम | ७ | | |
| सिम | ६ | | |
| चहार | ५ | | |

## अनुसूचि ३
(दफा (४) सँग सम्बन्धित)

### (क) बहाल करको दर

१ नगराईन नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, सेड, जग्गा, पोखरी वा अन्य सम्पत्ति पुरै वा आशिंक तवरले बहाल दिएकोमा बहाल अंकको १० प्रतिशत

२ संगठित सँघसँस्था, कम्पनी, कार्यालय वा यस्तै प्रकृतिका अन्य निकायले बहाल लिए वापत बहाल रकम भुक्तानी गर्दा स्रोतमै अग्रीम बहाल कर कट्टी गरी नगरपालिकामा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

### (ख) बहाल कर निर्धारण प्रक्रिया

१ बहालमा दिएको मितिलाई आधार मानी दैनिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धबार्षिक वा बार्षिक अवधिलाई आधार लिई बहाल कर बुझाउनु पर्नेछ ।

२ क्षेत्रगत आधारमा नगर कार्यपालिकाले न्यूनतम बहाल दर तोक्न सक्नेछ ।

३ नगर कार्यपालिकाले निर्धारण गरेको कार्यविधि अनुसार करदाताले स्वंय घोषणा गरेको वा सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको आधारमा बहाल कर निर्धारण गरिनेछ ।

# अनुसूचि ४
(दफा (५) सँग सम्बन्धित)

## व्यवसाय करको दर

| सि.नं. | व्यवसायको किसिम | बार्षिक रु. |
|---|---|---|
| १ | सुन, चांदी पसल | २,०००।- |
| २ | चुरोट, विडी वा सुर्तिको थोक विक्रेता | १,०००।- |
| ३ | मदिरा एवं कोल्ड ड्रिंक्स विक्रेता | २,०००।- |
| ४ | श्रृगांर पसल तथा ब्युटी पार्लर | १,०००।- |
| ५ | फलफूल, तरकारी स्थायी पसल | ५००।- |
| ६ | जुता चप्पल पसल | १,०००।- |
| ७ | स्टेसनरी तथा पुस्तक पसल | १,०००।- |
| ८ | चस्मा पसल | १,०००।- |
| ९ | टायर, टयुव मर्मत | ७००।- |
| १० | व्याट्री मर्मत तथा चार्ज गर्ने | ७००।- |
| ११ | पेन्टर, रबर स्टाम्प | ७००।- |
| १२ | नसर्री | ७००।- |
| १३ | माछा, मासु, अण्डा पसल स्थायी | १,०००।- |
| १४ | भाडा वा ग्यास पसल | १,५००।- |
| १५ | फर्निचर पसल | १,०००।- |
| १६ | केवुल, नेटवर्किङ्ग | १,०००।- |
| १७ | उद्योग तथा कम्पनीको एजेन्सी | २,०००।- |
| १८ | औषधी पसल | १,५००।- |
| १९ | मल खाद, विउ विजन | १,५००।- |
| २० | जादु, सर्कस, थिएटर, संगित तथा मनोरंजन हल प्रति दिन | ३००।- |
| २१ | वैण्डवाजा | ७००।- |
| २२ | टेन्ट हाउस डेकोरेशन | १,०००।- |
| २३ | हार्डवेयर पसल | २,०००।- |
| २४ | कम्प्यूटर पसल | २,०००।- |
| २५ | इलेक्ट्रोनिक, ईलेक्ट्रिक सामान विक्रेता | १,५००।- |
| २६ | इलेक्ट्रोनिक, ईलेक्ट्रिक मर्मत | ७००।- |
| २७ | पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता | २,०००।- |
| २८ | किराना पसल | १,०००।- |
| २९ | कपडा पसल | १,०००।- |
| ३० | रिक्सा, साइकल बिक्रेता | १,०००।- |
| ३१ | रिक्सा साइकल मर्मत | ७००।- |
| ३२ | हेभि इक्वीपमेन्ट बस, ट्रक, कार, ट्रयाक्टर मर्मत | २,५००।- |
| ३३ | मोटरसाइकल, टेम्पो आदि मर्मत | १,०००।- |
| ३४ | पम्पिङ्ग सेट, मोटर, पंखा आदि मर्मत | १,०००।- |
| ३५ | आधारभूत स्तरका निजी विद्यालय | ७००।- |
| ३६ | नि.मा.वि. स्तरका निजी विद्यालय | १०००।- |
| ३७ | मा.वि. स्तरका निजी विद्यालय | १,५००।- |
| ३८ | उच्च मा.वि. र क्याम्पस निजी स्तरका | २,०००।- |
| ३९ | निजी/गैर सरकारी प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम | २,०००।- |
| ४० | निजी नर्सिङ्ग होम तथा अस्पताल | २,०००।- |
| ४१ | क्लीनिक तथा ल्याव ईत्यादि | १,०००।- |

| | | |
|---|---|---|
| ४२ | इन्जीनियरिंग सेवा | २,०००।- |
| ४३ | कानूनी व्यवसाय | २,०००।- |
| ४४ | लेखापरीक्षक | १,५००।- |
| ४५ | अनुसन्धानकर्ता तथा परामर्शदाता | १,५००।- |
| ४६ | कम्प्युटर एनालिष्ट तथा प्रोग्रामर | १,५००।- |
| ४७ | विमा ऐजेन्ट | १,५००।- |
| ४८ | सर्भेयर | १,५००।- |
| ४९ | अनुवादक | १,५००।- |
| ५० | सामान ढुवानीकर्ता तथा कम्पनी | १,५००।- |
| **५१** | **निर्माण व्यवसाय** | |
| | "क" श्रेणी | ५,०००।- |
| | "ख" श्रेणी | ४,०००।- |
| | "ग" श्रेणी | ३,०००।- |
| | "घ" श्रेणी | १,५००।- |
| ५२ | चामल तथा तेल उत्पादन गर्ने उद्योग | २,०००।- |
| ५३ | स-मिल काष्ट उद्योग | ३,०००।- |
| ५४ | अपसेट प्रेस | १,०००।- |
| ५५ | डिजीटल फोटो कलर ल्याव | १,०००।- |
| ५६ | फोटो स्टुडियो | ८००।- |
| ५७ | कुटानी, पिसानी मिल | ५००।- |
| ५८ | ईटा उद्योग | ५,०००।- |
| ५९ | ग्रिल, सटर उद्योग | १,५००।- |
| ६० | हेयर कटिङ्ग गर्ने | ७००।- |
| ६१ | पाउरोटी उद्योग | १,०००।- |
| ६२ | टेलरिङ्ग सेवा | ८००।- |
| ६३ | मैनवती उद्योग | ८००।- |
| ६४ | सावुन, सर्फ उद्योग | २,०००।- |
| ६५ | पानी उद्योग | १,५००।- |
| ६६ | सुति जन्य उद्योग | २,०००।- |
| ६७ | होटल | १,०००।- |
| ६८ | भेडा बाखा फार्म | १,५००।- |
| ६९ | गाई भैंसी फार्म | २,०००।- |
| ७० | संघ, संस्था दर्ता नवीकरण | ५००।- |
| **७१** | **संचार सेवा :-** | |
| | संचार कम्पनीको प्रति टावर | २,०००।- |
| | एफ.एम. रेडियो स्टेशन | १,०००।- |
| | टेलिफोन, फ्याक्स, इन्टरनेट, कुरिअर आदि | ८००।- |
| **७२** | **वित्तीय सेवा :-** | |
| | नेपाल सरकारको स्वामित्व नरहेका बैंक | ३,०००।- |
| | आर्थिक कारोवार गर्ने वित्तीय कम्पनी, मनि ट्रान्सफर | २,०००।- |
| | विदेशी मुद्रा सटही | १,०००।- |
| *माथिको वर्गीकरणको समावेश नभएका व्यवसायको कारोवार र स्तर हेरी वार्षिक रु. ५००।- देखि ५,०००।- सम्म* | | |

## अनुसूचि ५
(दफा (६) सँग सम्बन्धित)

### जडिबुटी कबारी र जीवजन्तु करको दर

उन, जडिबुटी, कबाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिंग, प्वाँख, छाला जस्ता वस्तुको व्यवसायिक कारोबार गरे वापत निम्न बमोजिमको कर लाग्नेछ :-

क) कागजजन्य सामानका लागि प्रति किलोग्राम रु. एक

ख) फलामजन्य सामानका लागि प्रति किलोग्राम रु. दुई

ग) स्टीलजन्य सामानका लागि प्रति किलोग्राम रु. दुई

घ) अन्यका हकमा प्रति किलोग्राम रु. दुई

अनुसूचि ६
(दफा (७) सँग सम्बन्धित)

**सवारी साधन करको दर**

नगराईन नगरपालिकाभित्र ठेगाना रहने गरी दर्ता भएका तथा नगराईन नगरपालिका क्षेत्रभित्र चल्ने सवारी साधनमा देहाय बमोजिम बार्षिक सवारी कर लाग्ने :

क) ईन्जिनबाट चल्ने दुई पांग्रे मोटर साईकल वा यस्तै सवारी साधन रु. १००
ख) कार, जीप वा यस्तै चार पांग्रे सवारी साधनको रु. ५००
ग) टेम्पु, ट्याक्टर वा यस्तै चार पांग्रे सवारी साधनको रु. ५००
घ) मिनी बस, मिनी ट्रक वा यस्तै चार पांग्रे सवारी साधनको रु.१,०००
ङ) ठुला बस, ट्रक वा यस्तै चार पांग्रे सवारी साधनको रु. १,५००
च) डोजर, क्रेन वा यस्तै हेभी साधनको रु. २,०००

**तर, विधुतीय उर्जाबाट संचालन हुने र कृषि कार्यमा प्रयोग गरिने साधनको हकमा तोकिएको दरमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ ।**

## अनुसूचि ७
(दफा (८) सँग सम्बन्धित)

**विज्ञापन करको दर**

| सि.नं. | विज्ञापन सामग्री | इकाई | अवधि | दर रु |
|---|---|---|---|---|
| १ | फ्लेक्सबाट तयार गरिएको विज्ञापन प्रचार सामग्री | प्रति वर्ग फीट | बार्षिक | ५० |
| २ | होर्डिंग बोर्ड वा यस्तै विज्ञापन प्रचार सामग्री | प्रति वर्ग फीट | बार्षिक | १०० |
| ३ | डिजिटल बोर्ड वा यस्तै विज्ञापन प्रचार सामग्री | प्रति वर्ग फीट | बार्षिक | ५० |
| ४ | सवारी साधनको दाँया बाँया | प्रति वर्ग फीट | बार्षिक | २० |
| ५ | खेलकुद मैदान, मेला, जात्रा वा यस्तै अन्य कार्यक्रममा विज्ञापन | प्रति दिन | दैनिक | ५० |
| ६ | अन्य | प्रति वर्ग फीट | बार्षिक | ५० |

अनुसूचि ८
(दफा (९) सँग सम्बन्धित)

## मनोरञ्जन करको दर

१ चलचित्र प्रदर्शन प्रति पर्दा बार्षिक रु. २,०००

२ जादु, सर्कस, मेला सञ्चालन गराए वापत दैनिक रु. १००

## अनुसूचि ९
(दफा (१०) सँग सम्बन्धित)

### बहाल बिटौरी शुल्कको दर

| सि.नं. | विवरण | रुपैया |
|---|---|---|
| ०१ | तरकारी, फलफूल तथा अन्य सामग्री प्रति टोकरी | १० |
| ०२ | परेवा प्रति जोडा | १० |
| ०३ | कुखुरा प्रति थान | १० |
| ०४ | फुटपाथमा बसी मर्मत सम्भार गर्ने, कपाल काट्ने, सुर्ती, चक्कु, हँसीया, खुर्पि, जाँतो सिलौटो वा अन्य सामग्री बेच्नेसँग प्रति दिन | २० |
| ०५ | पटके चिया, नास्ता, मिठाई, अण्डा आदि बेच्ने | २० |
| ०६ | जडीवुटी बेच्ने तथा खेल चटक, तमासा इत्यादी | २० |
| ०७ | माछा, मासु बिक्रेता | ५० |
| ०८ | दाउरा वा यस्तै अन्य सामग्री प्रति भारी | ५ |
| *कुनै साधनमा ल्याएका सामग्रीलाई पनि माथि उल्लेख भए बमोजिमको इकाईमा दामासाहीले कर संकलन गरिने* | | |

## पशु वजार सेवा शुल्कको दर

(क) गाई, गोरु, राँगा, घोडा र घोडीको प्रति थान विक्रेतावाट लिने रु. १००

(ख) गाई, गोरु, राँगा, घोडा, र घोडीको प्रति थान क्रेतावाट लिने रु. १००

(ग) खसी, वाखा, वोका, पाठा, पाठी प्रति थान विक्रेतावाट रु. ५०

(घ) खसी, वाखा, वोका, पाठा, पाठी प्रति थान क्रेतावाट रु. ५०

## अनुसूचि १०
(दफा (११) सँग सम्बन्धित)

### पार्किंग शुल्कको दर

क) साईकल प्रति घण्टा रु. २

ख) टायर गाडा प्रति घण्टा रु. ७

ग) दुई पांग्रे सवारीका लागि प्रति घण्टा रु. ५

घ) चार पांग्रे सवारीका लागि प्रति घण्टा रु. १०

ङ) छ वा सो भन्दा बढी पांग्रे सवारीका लागि रु. ३०

१ क्षेत्रगत आधारमा, सडकमा स्पष्ट रेखांकन गरी, प्रवेश र बर्हिगमन फरक फरक हुने गरी, कुनै पनि सडकको कुल चौडाईको २५ प्रतिशत भन्दा बढी भाग नओगटने गरी, सकभर आधुनिक प्रयोगमा ल्याउने गरी आफै वा निजी क्षेत्रबाट सवारी पार्किंग व्यवस्थापन गर्न सक्ने ।

२ सवारी साधन पार्किंग गर्ने क्षेत्र र निषेध क्षेत्र नगर कार्यपालिकाले तोक्न सक्नेछ ।

# अनुसूचि ११
(दफा (१२) सँग सम्बन्धित)

## सेवा शुल्क दस्तुर

| सि.नं. | विवरण | दर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | नाता प्रमाणित | १०० | |
| २ | नागरिकता तथा नागरिकताको प्रतिलिपि सिफारिश | ५० | |
| ३ | बहाल करको लेखाजोखा सिफारिश | १०० | |
| ४ | मोही लगत कट्टाको सिफारिश | २०० | |
| ५ | घर जग्गा करको लेखा जोखा सिफारिश | १०० | |
| ६ | जन्म मिति प्रमाणित | १०० | |
| ७ | व्यपार व्यवसाय बन्द, सञ्चालन भए नभएको सिफारिश | ३०० | |
| ८ | विवाह तथा अविवाहित प्रमाणित | १०० | |
| ९ | विपन्नलाई स्वास्थ्य उपचारको सिफारिश | नलाग्ने | |
| १० | घर पाताल प्रमाणित | १०० | |
| ११ | व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित | १०० | |
| १२ | जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जामा घर कायम गर्ने सिफारिश | १०० | |
| १३ | नाम, थर, जन्म मिति तथा वतन सिफारिश | १०० | |
| १४ | जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा हराएको सिफारिश | १०० | |
| १५ | छुट जग्गा दर्ताको सिफारिश | ५०० | |
| १६ | मोही निष्काशन सिफारिश | २०० | |
| १७ | जग्गाको चार किल्ला प्रमाणित प्रति कित्ता | १०० | |
| १८ | जग्गाको घरबाटो सिफारिश प्रति कित्ता | १५० | |
| १९ | कित्ताकाट सिफारिश प्रति कित्ता | ५० | |
| २० | संरक्षक प्रमाणित | १०० | |
| २१ | जीवित रहेको सिफारिश | १०० | |
| २२ | हकवाला वा हकदार प्रमाणित | १०० | |
| २३ | नामसारी सिफारिश | १०० | |
| २४ | सरजमीन मुचुल्का नागरिकता, व्य.घ.दर्ता | १०० | |
| २५ | सरजमीन मुचुल्का अन्य | ५०० | |
| २६ | उद्योग दर्ता तथा ठाँउसारी नामसारी सिफारिश | २०० | |
| २७ | विद्यालय खोल्ने, कक्षा थप गर्ने तथा ठाँउसारी सिफारिश | २०० | |
| २८ | घर जग्गा लगायत अन्य सम्पत्ति मूल्यांकन सिफारिश प्रति हजार रु. | १ | विद्यार्थी प्रयोजनको लागि रु. ५०० |
| २९ | धारा तथा बिद्युत जडान सिफारिश | १०० | |
| ३० | चारित्रिक प्रमाणपत्र सिफारिश | १०० | |
| ३१ | विपन्न विद्यार्थी सिफारिश | नलाग्ने | |
| ३२ | अपांग सिफारिश | नलाग्ने | |
| ३३ | चौपाया सिफारिश प्रति चौपाया | २० | |
| ३४ | नक्कल दस्तुर प्रतिपाना | १० | |
| ३५ | निवेदन फारम दस्तुर | १० | |
| ३६ | निवेदन टिकट दस्तुर | १० | |
| ३७ | अन्य सिफारिश | १०० | |
| ३८ | अमिन सेवा प्रति कठ्ठा, प्रति जग्गाधनी | १०० | न्यूनतम रु.१०० |
| ३९ | समिति, सँस्था, सहकारी दर्ता नवीकरण | ५०० | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ४० | घ वर्गका निर्माण व्यवसाय दर्ता नवीकरण | १५०० | |
| ४१ | स्रोत केन्द्रको हल भाडा प्रति दिन | १५०० | |
| | *नोट : माथि उल्लेखित सिफारिश अंग्रेजीमा गराउँदा दोब्बर शुल्क लाग्नेछ ।* | | |

## नक्सा पास दस्तुर तथा फाराम शुल्कको दररेट

| सि.नं. | विवरण | दररेट रु. | |
|---|---|---|---|
| ०१ | RCC भूंइ तल्ला निर्माण गर्दा प्रति वर्ग फिट | १।- | |
| | RCC प्रथम तल्ला निर्माण गर्दा प्रति वर्ग फिट | २।- | |
| | RCC दोस्रो तल्ला निर्माण गर्दा प्रति वर्ग फिट | ३।- | |
| | RCC तेस्रो तल्ला र सो भन्दा माथि निर्माण गर्दा प्रति वर्ग फिट | ४।- | |
| ०२ | कम्पाउडवाल प्रति रनिङ्ग फिट | १।- | |
| ०३ | घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र | ३००।- | |
| ०४ | घर नक्सा नामसारी दस्तुर | ३००।- | |
| ०५ | घर नक्सा निवेदन दस्तुर | २००।- | |
| ०६ | घर नक्साको प्रतिलिपिमा | ३००।- | |

अनुसूचि १२
(दफा (१३) सँग सम्बन्धित)

**पर्यटन शुल्क**
नगर कार्यपालिकाबाट तोकिएको स्थानमा तोकिए बमोजिम पर्यटन शुल्क लाग्ने छ ।